न्यायालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट अनूपगढ़

(प्रथम अपील अधिकारी अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी : अवधेश मीना, आई.ए.एस.

प्र.सं. 04/2024

जी.सी.एस.एस. नं. : 2024/19

नवप्रीत कौर निवासी वार्ड नं. 16, अनूपगढ़

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी कलैक्ट्रेट एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर अनूपगढ़

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम

–:: निर्णय ::–

दिनांक : 22.04.2024

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से हैं कि अपीलार्थी द्वारा यह प्रथम अपील प्रत्यर्थी द्वारा निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के आधार पर प्रस्तुत की गयी हैं। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर प्रत्यर्थी से अपील पत्र के संबंध में जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। अति. जिला कलक्टर अनूपगढ़ के पत्रांक एसपीआईओ/आरटीआई/2024/38 दिनांक 07.03.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत कर अपीलार्थी का आवेदन तहसीलदार श्रीविजयनगर से संबंधित होने के कारण तहसीलदार श्रीविजयनगर को हस्तांतरित करते हुए अपीलार्थी को सूचित किये जाने से अवगत कराया गया हैं। प्रकरण में तहसीलदार श्रीविजयनगर से जवाब प्रतिवेदन तलब किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर के द्वारा अपने पत्रांक 233 दिनांक 21.03.2024 के द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत निवेदन किया कि प्रकरण में अपीलार्थी द्वारा भूमि रूपान्तरण की सूचना सिंचाई विभाग को भिजवाये जाने की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति चाही गई हैं, जिसके संबंध में पटवारी हल्का द्वारा ऐसी रिपोर्ट सिंचाई विभाग को नहीं भिजवाई जाती हैं।

पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 6(1) के तहत आवेदन प्रस्तुत कर चक 14 बीजीडी के प.नं. 185/398 कि.नं. 1 से 5 बेचान की गई जो राजस्व रिकार्ड में एक वर्ष पूर्व कृषि से शिक्षण संस्थान में रूपान्तरित दिखाया गया हैं। यह कि पटवारी हल्का राजस्व 6 बीएलएम द्वारा उक्त भूमि रूपान्तरण की सूचना सिंचाई विभाग को भिजवाये जाने की रिपोर्ट की प्रमाणित प्रति उपलब्ध करवाने की अपेक्षा की गयी। प्रकरण प्रत्यर्थी द्वारा तहसीलदार श्रीविजयनगर से संबंधित होने के कारण उन्हें हस्तांतरित किया गया। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रकरण में प्रस्तुत प्रतिवेदन में अंकित किया गया हैं कि इस तरह की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा सिंचाई विभाग को नहीं भिजवाई जाती हैं, अपीलार्थी को कार्यालय द्वारा वांछित सूचना दी जानी सम्भव नहीं हैं। तहसीलदार श्रीविजयनगर द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन की प्रति अपीलार्थीया को प्रेषित की गयी हैं। अतः अपीलार्थीया को उनके आवेदन के संबंध में सूचना प्रेषित की जा चुकी हैं। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थीया खारिज योग्य हैं।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती हैं। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को सूचनार्थ/पालनार्थ प्रेषित की जावे।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 22.04.2024 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Avdhesh Meena
Date: 2024.05.23 17:18:37 IST
Reason: SelfAttested

(अवधेश मीना)
I.A.S
कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
अनूपगढ़

जिला कलक्टर अनूपगढ़

न्यायालय जिला कलक्टर अनूपगढ़